संख्या- 122 /2024/I/723029/2024/71-1099(099)/2/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 23 अगस्त, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज आगरा के 500 सीटेड आडिटोरियम भवन में अतिरिक्त फायर फाइटिंग कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/128, दिनांक 25.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज आगरा के 500 सीटेड आडिटोरियम भवन में अतिरिक्त फायर फाइटिंग कार्य हेतु कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 69.44 लाख के सापेक्ष रू0 5.00 करोड़ तक लागत की योजनाओ/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एंव औचित्य के परीक्षण हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 68.02 लाख के क्रम में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में **राजकीय मेडिकल कालेज आगरा के 500 सीटेड आडिटोरियम भवन में अतिरिक्त फायर फाइटिंग कार्य** हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 68.02 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-72- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एंव इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य की सम्पूर्ण धनराशि **रू0 68.02 लाख (रू0 अरसठ लाख दो हजार मात्र) की** वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। आगणन में प्राविधानित वे मदें, जो डी0एस0आर0 में निहित है, का परीक्षण कर किया गया है। ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है उनके सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
3. आगणन में 10 प्रतिशत सेंटेज का प्रावधान किया गया है, जो नियमानुसार देय होगा।
4. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
5. आगणन में विभागीय दक्षता हेतु 05 प्रतिशत कम कर दिया गया है।
6. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
7. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
8. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
10. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 68,02,000 (रुपये अड़सठ लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।